IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 70 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Deepak Joshi Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Other Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Page no.
1.	Compliance Report On Behalf Of Executive Officer Nagar Palika, Khoda-Makanpur.	1 - 8
2.	A true copy of the Work order Dated 15.5.2019 marked as **ANNEXURE-01**	9
3.	A true copy of the Bill of Sunrise Technologies marked as **ANNEXURE-02**	10
4.	A true copy of the Payment voucher of Sunrise Technologies marked as **ANNEXURE-03**	11
5.	A true copy of the Letter sent to the Sunrise Technologies on 29.07.2024 marked as **ANNEXURE-04**	12
6.	A true copy of the Notice dated 01.10.2024 marked as **ANNEXURE-05**	13
7.	A true copy of the Affidavit with M/s Rolls India Waste Management Pvt Ltd marked as **ANNEXURE-06**	14
8.	A true copy of the Solid Waste Management Bye-laws marked as **ANNEXURE-07**	15 - 34
9.	A true copy of the Letter sent to the Director/State Mission Director, Swachh Bharat Mission Urban, marked as **ANNEXURE-08**	35

THROUGH

Priyanka

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE

DATE : 03.10.2024 **COUNCIL FOR NPP, KHODA, MAKANPUR**
F-13, GROUND FLOOR, JANGPURA, NEW DELHI - 110014

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 70 OF 2024

IN THE MATTER OF:
Deepak Joshi Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Other Respondents

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF EXECUTIVE OFFICER NAGAR PALIKA, KHODA-MAKANPUR.

Most Respectfully Showeth:

1. This humble submission is made in response to the Hon'ble Tribunal's order dated 17.09.2024, which directs Respondent No. 5, the Executive Officer of Nagar Palika, Khoda-Makanpur, to furnish comprehensive details regarding waste management practices, including waste generation and the management of Municipal Solid Waste (MSW), for the period from 2016 to 2022. The order states:

   "We, accordingly, direct respondent no. 5 to comply with the Tribunal's order dated 05.07.2024 within two weeks and remain present on the next date."

   and order dated 5.7.2024 stating :

   "4. Pursuant thereto, a short reply has been filed by email dated 24.06.2024 by Executive Officer, Nagar Palika, Khoda, i.e., respondent 2, and basically what has been stated in Joint Committee report are the facts reiterated in the said reply. However, reply does not show as to how much is the legacy waste since the date of constitution of above local body i.e., 10.03.2016, and if there is no legacy waste then how daily generated waste on and after 10.03.2016 has been handled, managed and disposed of. 5. Separate reply dated

03.07.2024 has been filed by UPPCB and therein also, facts as noted above in Joint Committee report are virtually admitted. It is further said that for non-compliance of provisions of Municipal Solid Waste Rules, 2016, a show cause notice has been issued by CPCB, proposing environmental compensation @ Rs. Ten Thousand per day. However, on what basis, the amount of ten thousand has been proposed is not disclosed at all.

6. Let a proper reply be filed by respondents 2 and 3 specifically stating as to in what manner, solid/municipal generated on and after 10.03.2016 has been dealt with and give details thereof. UPPCB shall also inform as on what basis quantum of environmental compensation has been proposed at the rate of Rs. Ten Thousand per day and whether final order has been passed or not."

2. That it is respectfully submitted that the Hon'ble Tribunal's observations in previous replies, wherein the Tribunal recognized the challenges faced by the Respondent in locating the complete historical records sought. Despite diligent efforts and the filing of several Interlocutory Applications (IAs) aimed at obtaining these records, we regret to inform the Hon'ble Tribunal that certain essential data pertaining to the period between 2016 and 2022 remains unavailable.

3. That the extended timeframe for which the information has been requested spans across multiple changes in administration and personnel, resulting in certain information becoming irretrievable due to the transitions of various officers over this lengthy period. The changes in executive officers and the passage of time have made it impossible to locate some of the necessary documentation.

4. That it is important to highlight that the Nagar Palika was established on 10.03.2016, shortly after the implementation of the Solid Waste Management Rules, 2016. Being a newly created body, there was a shortage of employees and resources in the initial years. Due to these shortages, the body was forced to take up the work with the available personnel and resources, as a mandatory provision for public health and sanitation. It took time to establish its operational framework,

recruit necessary staff, and formulate by-laws, which became effective on 18.12.2018. From 10.03.2016 until 15.05.2019, waste was dumped at a temporary site behind Police Station Khoda. Due to the unavailability of land M/s Sunrise Technologies India was then outsourced for scientific garbage collection and disposal from this site, as per the work order dated 15.05.2019. This arrangement continued until 2022. During this time, the Nagar Palika also established secondary collection points and appointed a designated officer to oversee waste management, in line with the directions issued by the Hon'ble Tribunal. Consultations with relevant agencies were also undertaken to determine the most effective waste disposal methods. Work order Dated 15.5.2019 marked as **ANNEXURE-01**

5. Further, the Nagar Palika had to navigate the unprecedented challenges posed by the COVID-19 pandemic, which caused disruption in garbage collection and disposal for almost two years between 2019 and 2022. During this period, a significant portion of the Nagar Palika's resources and efforts were redirected towards managing the public health crisis, setting up relief camps, and ensuring the safety and well-being of residents.

6. That we assure the Hon'ble Tribunal that Nagar Palika, Khoda-Makanpur, is diligently complying with Rule 15(n) and Rule 16 of the Solid Waste Management Rules, 2016. Waste from streets, lanes, and by-lanes is collected, the estimated population is approximately 450,000, and the number of buildings is around 60,000. Door-to-door collection and segregation at the source have been implemented with 100% compliance.

7. That after the date of issue of the work order, the work continued to be done by the firm, and the bill for the work continued to be submitted on a monthly basis. Payment has been made by the body against the bill presented. The bill is marked as **ANNEXURE-02**, and the copy of the payment voucher is marked as **ANNEXURE-03**.

8. To provide details of the garbage collected and disposed of by the firm, a letter was sent to the firm on 29.07.2024. However, due to the

firm not providing any satisfactory evidence/details, again, through Notice dated 01.10.2024, information related to the quantity of garbage collected and where the garbage was disposed of has been sought along with archival evidence. Letter sent to the Sunrise Technologies on 29.07.2024 marked as **ANNEXURE-04,** Notice dated 01.10.2024 marked as **ANNEXURE-05**

9. Due to dissatisfaction with the performance of the previous agency, the Nagar Palika has since transitioned to a waste-to-energy plant operated by M/s Rolls India and time to time steps have been taken to get the scientific disposal and composting of wet waste. Therefore we dont have any legacy waste as clearly pointed out in and confirmed by a recent report from the Pollution Control Board (PCB) :

"2. Compliance:

(i) Earlier in compliance to Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi passed on 17.03.2024, joint team comprising officials from Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad and District Administration Ghaziabad had visited premises of dumping site in question on 09.04.2024 and report was filed before Hon'ble NGT. In view of observation made by joint committee, a letter was issued to Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur, Ghaziabad on 02.05.2024 by UPPCB to ensure scientific disposal of municipal solid waste in accordance witha Solid Waste Management rules 2016, (Copy of said letter is attached as Annexure-1).

(ii) In reply to above a letter was received from Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur, Ghaziabad on 24.06.2024 (Copy of said letter is attached as Annexure-II). Following facts are stated in such letter.

> *A- Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur, Ghaziabad was established on 10.03.2016 which is situated on the border of Uttar Pradesh adjacent to East Delhi having an area of 4.5 square kilo meter. According to 2011 census thepopulation was recorded 1,90,005 and currently the estimated population around 4,50,000 approximately.*

> *B- It has been reported that the daily generation of fresh Municipal Solid Waste from jurisdiction of Nagar Palika Parishad is approximately 105.17 MT/day.* ***<u>During visit no record of legacy waste was provided.</u>****"*

Affidevit with M/s Rolls India Waste Management Pvt Ltd marked as **ANNEXURE-06**

10. According to the provisions given in the Solid Waste Management Rules, 2016, Municipal Council Khoda-Makanpur, for the regulation of all matters and items related to the collection, storage, transportation, processing, and disposal of solid waste and sanitation-related matters by the body, Ghaziabad made Municipal Solid Waste Management Bye-laws, 2018, which was notified in the Government Gazette, which is effective in the body from 18.12.2018. Solid Waste Management Bye-laws marked as **ANNEXURE -07**

11. That already informed to the tribunal wide short affidavit 90 TPD capacity processing plant and a 05 TPD capacity MRF have been constructed in village Nidauri under Swachh Bharat Mission 1.0 for the disposal of currently generated garbage and pre-collected garbage. Machinery/equipment has also been purchased for the operation of the MRF and DPR has been sent to the directory. We sure that all this is under process and the site will be operational by December 2024 and post setup scientific disposal will be done by us. A letter sent to the Director/State Mission Director, Swachh Bharat Mission Urban, marked as **ANNEXURE-08**

12. With reference to the report submitted by the UPPCB on 19.07.2024, it is respectfully submitted that the Nagar Palika has complied with all the necessary conditions and has taken proactive steps to address the issue of waste management. Therefore, we request that no environmental compensation be imposed on the Nagar Palika. Furthermore, for the sake of clarity and to ensure that all necessary information is available to the Hon'ble Tribunal, a letter seeking clarification on the UPPCB's letter dated 19.07.2024 has been sent to

the PCB on 01.10.2024.

13. In light of the above and considering that this is the maximum number of records we could collect and we demonstrated and file this on record, my lords we humbly request the Hon'ble Tribunal to overlook the absence of the specific historical data sought and consider this submission as compliance with the order dated 17.09.2024. We remain at the Tribunal's disposal for any further clarifications or directions.

THROUGH

Priyanka

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNCIL FOR NPP, KHODA, MAKANPUR
F-13, GROUND FLOOR, JANGPURA, NEW DELHI - 110014

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 70 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Deepak Joshi ... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Other ... Respondents

AFFIDAVIT

I, **Sh. Abhishek Kumar** aged about **51 years** s/o **Sh. Paras Nath** is presently posted as **Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Khoda-makanpur, Uttar Pradesh** having an office at **Khoda-makanpur, Uttar Pradesh** presently in Delhi.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying report has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying affidavit are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA RENU AGARWAL Delhi Regd. No. 17806

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ RENU AGARWAL Delhi Regd. No. 17806

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this 03 OCT 2024 day of 2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ RENU AGARWAL Delhi Regd. No. 17806

I identified the deponant who has signed in my presence

Priyanka D/4476/2010

ATTESTED

NOTARY PUBLIC (INDIA)

Presently at New Delhi

03 OCT 2024

DEPONENT

ANNEXURE - 1 (16)

कार्यालय नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर, गाजियाबाद।

पत्रांकः- 110 / न0पा0परि0खो0म0-ठे0आ0 / 2019-20

दिनाँक-15/05/2019

कार्यादेश

मै0 सनराईज वे टेक्नोलोजीज इण्डिया,
पता-10, डी.एस. बाजवा कम्पाउन्ड,
निकट-रामनगर, ज्ञानी बॉर्डर, साहिबाबाद,
जिला-गाजियाबाद। मो0नं0-9999141168

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि, पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ठ (कूड़े) के उठान हेतु, वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु फर्म की प्रति डम्फर दरें स्वीकृत की हुई है। पालिका के अस्थाई कूड़ा एकत्र स्थल पर पहाडनुमा कूड़े का ढेर बन गया है, जिसका उठान कराकर निस्तारण किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि, थाना-खोड़ा के पीछे स्थित अस्थाई कूड़ा ढलाव स्थल से प्रति डम्फर पूर्व स्वीकृत दरों पर उक्त ठोस अपशिष्ठ(कूड़े) को वहाँ से उठवाकर निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा उक्त स्थल से उठाऐ गये डम्फरों की दिनॉकवार सत्यापित सूची, बिल के साथ संलग्न कर पाक्षिक रूप में कार्यालय उपरोक्त में प्रस्तुत करें।

15.05.19
(कृष्ण कुमार भड़ाना)
अधिशासी अधिकारी,
न0पा0परि0खोडा-मकनपुर,
गाजियाबाद।

O/C

प्रतिलिपिः- श्री संजीव कुमार, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, को इस निर्देश के साथ कि, फर्म द्वारा उठवाये जाने वाले ठोस अपशिष्ठ(कूड़े) के डम्फरों की निगरानी एवं रजिस्टरीकरण का कार्य कर्तव्यनिष्ठ कार्मिको के माध्यम से कराते हुए, डम्फरों की संख्या का सत्यापन करते हुए, सूची प्रस्तुत करें।

Received
15/5/19

15.05.19
(कृष्ण कुमार भड़ाना)
अधिशासी अधिकारी,
न0पा0परि0खोडा-मकनपुर,
गाजियाबाद।

141

In[illegible] Original, Duplicate, Office Copy

Sunrise W[illegible]ologies India

Office: 18, B.S Bajwa Compound, Near Ram Nagar, Gyani Border, Shahibabad, Ghaziabad 201006 (U.P)
Email: info.sunrise[illegible]@gmail.com, Mob: 9999411868, 9911141114/78

Invoice No : SWTI/2019-20/000033
Invoice Date : 01/06/2019
Tin No : 09988827505
GST No : 09ACKFS[illegible]
Pan No : ACKFS8701Q
Service Tax No. : ACKFS7010SD001

INVOICE TO

Executive Officer
Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur Ghaziabad (U.P.)

Work Order No.
Invoice Date : 01/06/2019
Vendor Code No.
Tin No : Govt

Sr.No	Discription	Qty.	Unit Days/Month	Unit Price Rs	P.	Amount Rs	P.
1	Providing Day To Day, Dumper Complete with Dessel & Driver From Dt.16/05/2019 TO 31/05/2019	706	Round (Chakkar)	2,500	0	1,765,000	0

Passed & Payment

07.06.19
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर
गाजियाबाद।

चेना देवी
अध्यक्ष

Sub Total-A	1,765,000	0
E.S.I.C. @ 4.75 %	N/A	0
E.P.F. @ 13.36 %	N/A	0
Sub Total-B	1,765,000	0
ADMIN. CHARGES @ 12.5 %	220,625	0
Total	1985625	0
SGST @ 9%	178706	0
CGST @ 9 %	178,706	0
Total GST @ 18 %	357,413	0
Grand Total	2343038	0

(संजीव [illegible])
लेखा एवं लिपिक
नगर पालिका परिषद

Rs. (in Words) Twenty Three Lakh Forty Three Thousand & Thirty Eight Only)

1. Make all Cheques/DD payable to Sunrise Way Technologies India
2. If you have any questions concerning this invoice please contact us @ our company number or email us at our company email id
3. Goods Return Within 7 Days

For Sunrise Way Technologies India
For Sunrise WAY Technologies India
Partner
Authorised Signatory

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

...य/महोदया,

आपके आदेशानुसार, निकाय क्षेत्रान्तर्गत दैनिक ठोस अपशिष्ट(सॉलिड वेस्ट)/कूडे के निस्तारण हेतु पालिका ...ा की भूमि में एकत्र किये गये ठोस अपशिष्ट के पहाडनुमा ढेर को डम्फर द्वारा उठवाकर, निकाय क्षेत्र से बाहर निस्तारण ... जाने हेतु, **दिनांक 01.06.2019 को मै0 सनराईज वे टेक्नोलाजीज इण्डिया, प्रो0-श्री हरिओम शर्मा, ग्राम मोरटी, थाना ...नी गेट, गाजियाबाद** को कार्यादेश जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में, फर्म द्वारा पूर्व स्वीकृत दरों पर **दिनांक 16.05.2019 से दिनांक 31.05.2019 तक कुल 706 डम्फरों** के माध्यम से, नौएडा की भूमि में एकत्र किये गये ठोस अपशिष्ठ(कूडा) को, निकाय क्षेत्र से बाहर निस्तारण किया गया है। उक्त किये गये कार्य की बाबत फर्म द्वारा **बिल इन्वॉस नं0-SWIT/2019-20/000033 दिनांक 01.06.2019 अंकन 23,43,038/-(तेईस लाख तिरालिस हजार अड़तीस रूपयें)** का बनाकर, भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तुत बिल की जांच, निकाय के सफाई एंव खाद्य निरीक्षक द्वारा करते हुये, कार्य सन्तोषजनक होने एंव डम्फरों द्वारा लगाये गये चक्करों की सत्यापन आख्या सहित, बिल भुगतान की संस्तुति की गई है, जो बिल पर अंकित है, जो दाहिनी ओर पत्रावली पर चस्पा है।

फर्म को निम्नानुसार बिल भुगतान किया जाना है-

1.	बिल की धनराशि	- 19,85,625/-
2.	जी0एस0टी0 18 प्रतिशत	- 3,57,413/-
3.	**बिल की कुल धनराशि(1+2)**	**- 23,43,038/-**
4.	19,85,625 पर आयकर कटौती 2 प्रतिशत	- 39,713/-
5.	19,85,625 पर जी0एस0टी0 कटौती 2 प्रतिशत	- 39,713/-
6.	कुल कटौती	- 79,426/-
7.	**फर्म को भुगतान (3-6)**	**- 22,63,612/-**

कृपया उपरोक्तानुसार **मै0 सनराईज वे टेक्नोलाजीज इण्डिया, ग्राम मोरटी, थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद** द्वारा प्रस्तुत बिल के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुये, हस्ताक्षर करना चाहे-

(तपसी सिंह)
लिपिक/ना0मो0,
न0पा0परि0खोड़ा-मकनपुर,
गाजियाबाद

(संजीव कुमार)
सफाई एंव खाद्य निरीक्षक,
न0पा0परि0खोड़ा-मकनपुर,
गाजियाबाद

forward.

04.06.19
अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0खोड़ा-मकनपुर,
गाजियाबाद।

रीना भाटी
अध्यक्ष
न0पा0परि0खोड़ा-मकनपुर,
गाजियाबाद।

ANNEXURE - 4

कार्यालय नगर पालिका परिषद [illegible]नपुर, गाजियाबाद।

पत्रांकः– 363 / न0पा0परि0खो0म0गा0 / 2024–25 दिनांक–29 / 07 / 2024

मै0 सनराईजवे टैक्नोलोजीज इण्डिया,
प्रो0 श्री हरि ओम,
पता–10, डी.एस. बाजवा कम्पाउन्ड,
निकट–रामनगर, ज्ञानी बॉर्डर, साहिबाबाद,
हाल पता–ग्राम–मोरटी, थाना–सिहानी गेट,
गाजियाबाद, मो0 नं0 9999141168

कृपया कार्यालय के पत्रांक–110 / न0पा0परि0खो0म0–ठे0आ0 / 2019–20 दिनांक 15.05.2019 **(संलग्नक–01)** का अवलोकन करना चाहें, जिसके अन्तर्गत पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट(कूड़े) के उठान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में थाना खोड़ा के पीछे स्थित अस्थाई कूड़ा ढलाव स्थल से प्रतिदिन कूड़ा उठान के संबंध में कार्यादेश जारी किया गया।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्त कार्यादेश के क्रम में पालिका के ठोस अपशिष्ट(कूडे) का निस्तारण (वर्ष 2019 से 2022 तक) आपकी फर्म द्वारा पालिका क्षेत्र से बहार कहां किया जाता था? से सम्बन्धित तथ्यात्मक आख्या एंव कूड़ा निस्तारण स्थल के साक्ष्य, विवरण सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

29/7/24

अधिशासी अधिकारी,
न0पा0परि0खोड़ा–मकनपुर
गाजियाबाद।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् खो[illegible]र, गाजियाबाद।

पत्रांकः—5541/ /न0पा0परि0खो0म0गा0/2024—25 दिनांक—01/10/2024

—ःनोटिसः—

मै0 सनराईजवे टैक्नोलोजीज इण्डिया,
प्रो0 श्री हरि ओम,
पता—ग्राम—मोरटी, थाना—सिहानी गेट,
जनपद—गाजियाबाद।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या—363/न0पा0परि0खो0म0गा0/2024—25 दिनांक 29.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्ष 2019 से 2022 तक थाना खोड़ा के पीछे स्थित अस्थाई कूड़ा ढलाव स्थल से प्रतिदिन कूड़ा(ठोस अपशिष्ठ) उठान तथा उसका निस्तारण करने के संबंध में तथ्यात्मक आख्या/विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन अत्यन्त खेद का विषय है आपने अपने पत्र दिनांक 06.08.2024 द्वारा मांगी गयी सूचना न उपलब्ध कराकर औचित्यहीन एंव निरर्थक तथ्यों का उल्लेख किया गया है। आपके पुनः सूचित किया जाता है कि इस निकाय के कार्यादेश संख्या—110/न0पा0परि0 खो0म0—ठे0आ0/2019—20 दिनांक—15.05.2019 द्वारा आपको निकाय क्षेत्र में थाने खोड़ा के पीछे स्थित अस्थाई कूड़ा ढलाव स्थल से ठोस अपशिष्ठ/कूड़े को उठाकर उसका निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है। जिसके अनुपालन में आपको कूड़े को ढलाव स्थल से उठाना था और उसका निस्तारण भी करना था।

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर निकाय को मय अभिलेखीय साक्ष्यों सहित निकाय में यह सूचना उपलब्ध करायें कि आप द्वारा अपने कार्य अवधि में कुल कितना कूड़ा उठाया गया और उसका निस्तारण कहां किया गया। क्योंकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद से सम्बन्धित है। अतः स्पष्ट एंव समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराना अपेक्षित है। यदि इसके अभाव में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतिकूल आदेश/जुर्माना पारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपके स्वंय की होगी।

अधिशासी अधिकारी,
न0पा0परि0खोड़ा—मकनपुर
गाजियाबाद।

ANNEXURE - 6

ROLLZ INDIA

Rollz/Khora/24-25/32 20.06.2024

To,
The Executive Officer,
Nagar Palika Parishad Khora- Makkanpur,
Ghaziabad
Uttar Pradesh

Sub:- Information regarding scientific processing and disposal of MSW from Khora Nagar Palika

Ref:- 1827/1/NPPKMG/WO/2023-24 dated 29th February 2024

Dear Sir,

This is to inform you that our firm has obtained the CTO for new decentralized Waste to Energy plant at Ghaziabad and daily MSW generation from Khora is being processed using windrows technology into compost and RDF where RDF is disposed off in the WTE plant for energy conversion as per the SWM Rules 2016.

Please find attached the photos of the decentralized WTE plant and the Consent to Operate for your kind reference and records.

For Rollz India Waste Management Pvt Ltd.

Rollz India Waste Management Pvt. Ltd. Ghaziabad

Authorised Signatory

Enclosure :- 1) CTO WTE Plant

2) Photos

ROLLZ INDIA WASTE MANAGEMENT PVT. LTD. CIN : U40100RJ2009PTC030506
GSTIN No. : 08AAECR6721J1Z6 / 09AAECR6721J1Z4 PAN No. : AAECR6721J
Regd. Office : Nagar Parishad, Bhilwara Compost Plant, Kheer Khera Sanganer, Bhilwara Rajasthan - 311011
Corporate Office : 107, Sector 10, Raj Nagar, Ghaziabad-201001 (U.P.)
Mail ID : info@rollzindia.com | **Web :** www.rollzindia.com

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, खोड़ा-मक ... बाद

18 दिसम्बर, 2018 ई०

सं० 1103/न०पा०प०खो०म०-स्वास्थ्य/2018-19 नगर पालिका परिषद, खोड़ा-मकनपुरजनपद गाजियाबाद ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 व 298 के अन्तर्गत व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016" के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वय एवं विनियमन हेतु उपविधि बनायी है।

यह उपविधि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Dispose) तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बन्ध में है। इस उपविधि की स्वीकृति नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर के मा० बोर्ड के संकल्प दिनांक 01 सितम्बर 2018 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है जिसको ऐक्ट की धारा-301(1) के अधीन अधिसूचना सभी सम्बन्धित के सूचनार्थ, दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक शाह टाइम्स, गाजियाबाद के अंक दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित कराकर, 30 दिन की अवधि के अन्दर-अन्दर, उक्त उपविधि-2018 से प्रभावित होने वाले सभी सम्बन्धित से उपविधि के बाबत, आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गये थे, परन्तु 30 दिन की अवधि के अन्दर, कोई आपत्ति एवं सुझाव, कार्यालय नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर से प्राप्त नही हुए। अतः नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, उक्त उपविधि राजकीय गजट में एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो, राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/मान्य होगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2018

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस उपविधि का नाम नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2018," कहा जायेगा तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनाक से लागू/प्रभावी होगी।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2—लागू होना—यह उपविधि नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर, जनपद गाजियाबाद की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमाएं इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी) लागू होंगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर जनपद गाजियाबाद की सीमा में हैं, पर लागू होगी।

3—इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् है—

(1) "अभिकरण या अभिकर्ता" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, खोड़ा—मकनपुर, जनपद गाजियाबाद द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीकरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करे।

(2) "जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट)" से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा—कचरा, या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पत्तियों बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रोआर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/डिकम्पोज हो सकता है।

(3) "जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायामेडिकल वेस्ट)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से हो जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणिया भी सम्मिलित है।

(4) "शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य" बायो डिग्रेडियुल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री–साइक्लेयुल अपशिष्ट, नान–रीसाइक्लेबुल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट अपशिष्ट और सेनेटरी नेपकिन और डाइपर आदि से है।

(5) "घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट" से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हानि कारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सुइयां तथा सिरिज और संदूषित पट्टियां आदि से है।

(6) "बायो–मीथेनेशन से तात्पर्य" ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें माईक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है, जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

(7) "द्वार–द्वार संग्रहण से तात्पर्य" घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिलें भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्प्लेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट या संग्रहण करने से है।

(8) "विकेन्द्रित प्रसंकरण" से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबुल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रीसाइक्लेक्स सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करने से है ताकि प्ररांस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़ें।

(9) "ब्रांड ओनर से तात्पर्य" ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

(10) "निपटान से तात्पर्य" भूजल सतही जल, परिवेशी वायु के सदूषण तथा पशुओं या पंक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाली की सिल्ट का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

(11) "नगर निंकाय" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद खोड़ा–मकनपुर, जनपद गाजियाबाद से है।

(12) "बृहद अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेट)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलोग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते है तथा इसमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर मनोरंजन परिसर भी शामिल हैं, आदि से है।

(13) "संग्रहण" से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

(14). "स्रोत पर संग्रहण" से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे "घर--घर" संग्रहण" भी कहा जा सकता है।

(15) "सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र" से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

16 हि०रा०-19-C

(16) "कम्पोस्ट खाद निर्माण" से तात्पर्य ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से है जिसमें पदार्थ का जैविक अपघटन एरोबिक/एनएरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अप क्षरणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद मे परिवर्तित करने हेतु केंचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

(17) "निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी, अपशिष्ट" से तात्पर्य निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलबा और रोड़ी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

(18) "अपशिष्ट छँटाई जोन" से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि क्षेत्र छतरी या ढांचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छँटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

(19) "अपशिष्ट उत्पादक" से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है-

(20) "निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट" से तात्पर्य किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

(21) "कूड़ा कचरा" से तात्पर्य किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकड़े कागज कपड़ा, लकड़ी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट कतरन, ठोस बालू या पत्थर और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

(22) "संग्रहण" से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

(24) "मार्ग बिक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)" से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व-पथ, पैदल पथ, खडन्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के बिक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित है।

(25) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यिक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जे ठोस या अर्द्धठोस रूप में।

(26) "गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन" से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसायटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधत्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

(27) "अध्यासी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

(28) "स्वामी से तात्पर्य" ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। "प्रसंस्करण" से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक संस्करण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू-भरण स्थल हेतु।

(29) उपर्युक्त बनाने के प्रायोजन के लिए प्रसंस्करण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

(30) "पुनर्चक्रण" से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादों के समान नही हो सकती है।

(31) "कचरा निरतारण प्रभार" से तात्पर्य नगर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।

(32) "प्रयोक्ता शुल्क" से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ मे निर्धारित यूजर चार्ज से है।

16 हि० प्र०-19-D

(33) "पृथक्करण" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्ट समूह के जैव नाशित परिस्फुटनगम्य जैसे निर्जीवशील निर्माण और ध्वंस सामूहिक प्रदान और नालवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।

(34) "छंटाई" करना से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज प्लास्टिक, गत्ता, धातु काँच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा से पृथक करना सम्मिलित है।

(35) "भण्डारण" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(36) "परिवहन" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

(37) "विहित प्राधिकारी" में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली मे प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 मे उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इस उपविधि के अन्तर्गत, उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित, दायित्वों/कर्तव्यो/कार्यों का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् है:-

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य

प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता-

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत औसत तीन पृथक् शाखाओं अर्थात् बायोडिग्रेडिबुल (गीला कूड़ा), नान- बायोडिग्रेबल (सूखा कूड़ा), और हजार्डस अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा, नीला एवं काला में भंडारित करेगा और समय-समय पर नगर पालिका परिषद् द्वारा निर्गत या अधिसूचना के अनुसार पृथक् किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान--बायोडिग्रेडेबिल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक् रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपभोक्ता फीस अनुसूची-4 का भुगतान करेंगें जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर पालिका परिषद् की उपविधि मे विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित कर अनुमति प्राप्त किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा। ऐसी व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा। और पृथक्कृत अपशिष्ट को

नगर पालिका परिषद् द्वारा अभिहीत अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपिशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर पालिका परिषद् की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक् करना, पृथक् किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करें करेंगे। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का जहां तक पुनर्चक्रकों को सौपना सुनिश्चित करेगें। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद् द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी बृहद् अपशिष्ट सृजक नगर पालिका परिषद् की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक् करने, पृथक् किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद् अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेडिबल अपशिष्ट का परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद् द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

3-प्रतिषेध- (1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यों से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, सम्वातन पाईप और फिटिगों में कोई कूड़ा कचरा, या अपशिष्ट नही फेंकेगा, या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो-

[1] जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुंचने की

[2] नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की।

[3] कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित लोक सुविधाओ के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही थूकेगा न पेशाब करेगा न ही उसे विकृत करेगा न पशुओं और चिडियों के समूह को खिलाएगा और न ही, पशुओं, वाहनों, वर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

[3] (1) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्रांगण या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे व द्रव, अर्धठोस या ठोस पदार्थ हो, जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा।

(3) कोई भी पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गन्दगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है।

(4) कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, खंभे, पटरी, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गन्दगी नहीं करेगा।

(5) कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं बिक्री नहीं करेगा।

(6) कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग या अनधिकृत स्थल जानवरों का गोबर, लीद, पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और नही डलवायेगा।

(7) कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, मार्ग आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाईकर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

4-नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण-

(1) घरेलू अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण

[क] द्वार-द्वार संग्रहण में लगे प्रत्येक सफाईकर्मी को कटेनरयुक्त हाथठेला/रिक्शा तथा एंक घण्टी या सीटी/ सायरन उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट में सफाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाईकर्मी घण्टीं या सीटी/सायरन बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिशट संग्रहण का कार्य यथा-निर्धारित समयावधि में एवं यथा-निर्धारित स्वरूप मे करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तों एवं कूडें को जलायेगा नहीं और उसे नगर पालिका परिषद् द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौपेगा।

[ख] नगर निकाय वैकल्पिक रूप से घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट में हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर में डालेगें।

(ग) किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था संभव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट के संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

(2) होटल्स अपशिष्ट का संग्रहण-

होटल्स या रेस्टोरेंट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।

(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रों के अपशिष्ट का संग्रहण- शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशिष्ट जथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में सम्मिलित नही किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारिक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (जैसा अनुसूची-3 में सूचीबद्ध है।) का विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण कराने के लिए सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और व्यवस्था) नियमावली 2016 के अनुसार आदेशित है।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण संबंधी अपशष्टि के भण्डारण और निस्तारण के संबंध में लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि अपशिष्ट का भण्डारण करेगें एवं नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा की स्थिति मे उत्पादकीय नगर निकाय या उसका अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेंगे उत्पादक से पृथक्-पृथक् किये गये निर्माण और विध्वंश एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा तदुपरान्त इस अपशिष्ट प्रसंकरण केन्द्र को भेजा दिया जायेगा।

(8) सभी जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशष्टि पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक्-पृथक् किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था नगर पालिका परिषद या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेंस प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छटान केन्द्रो को दिया जायेगा। वेस्ट पिकर्सः-वेस्ट पिकर्स (कूडा बिनने वालो का) का सर्वेक्षण कर उनका व उनसे

संबंधित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान-पत्र दिया जायेगा उन्हे अपने कार्य प्रशिक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान-पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर-घर से रिसाइक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओं लाइसेंस प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाड़ियों को, संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाइसेंस के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (पुन: प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत अनुसूची दो में दी गई है।)

(9) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट की प्रारंभिक अवस्था में ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना सम्भव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक्-पृथक् किये गये उद्यान और बागवानी अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथठेला गाडियो से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नही जायेगा।

(12) नाले व नालियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

5—नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण—

(1) प्रतेक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक् करेगा:—

[1] जैव नाशित (बायोडिग्रेडेबुल) अपशिष्ट (गीला कूडा)

[2] जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (सूखा कूडा)

[3] जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट

[4]घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट

(2) पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों, तथा नागरिक समूहों के सम्मिलित किया जायेगा।

6—नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण—

(1) नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस निति से करेगा कि आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहां किसी प्रकार का प्रदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमता पूर्वक हो सके, अत:यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहां किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे खुले स्थान से हो या बन्द शेड में जो किसी परिषद में हो या सार्वजनिक स्थान हो से नगर निकाय

नगरीय वाहनो द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस का संग्रह किया जाता हो वहां ठोस को पृथक्–पृथक् किये गये अपशिष्ट प्रकारो के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

7–सामुदायिक अपशिष्ट का भण्डारण केन्द्र– अपशिष्ट के उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबंधित अपशिष्ट भण्डार केन्द्रो में किया जाये जहां से नगर निकाय द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा। जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी समय–समय पर अधिसूचित करें।

8–ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था– नगर निकाय इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढाचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेकने के लिए डस्टबीन सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। जहां कही सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी जिसमें संगठनों या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदाय की भागीदारी होगी। किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मार्केटिंग कॉम्प्लैक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक् किए गये अपशिष्ट के संग्रहण पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों, फलों फूलो मांस, कुक्कुट हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुये उचित स्थानों पर विकेन्द्रीकृत कम्पोस्टिंग प्लांट या जैव मीथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

9–सुविधा और सहायता उपलब्ध कराना– अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले विशेषज्ञों लाईसेंस प्राप्त कबाडियों पुनः प्रयोग करने वाले व्यापारियों, कूडेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट को पुन प्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनों के नाम और टेलीफोन नंबर नगर निकाय के सम्बन्धित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेंगे। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूह के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

10–कूडा निस्तारण प्रभार एवं प्रयोक्ता शुल्क का लगाया जाना– नगर निकाय होटलों, रेस्तरो और अपशिष्ट के अन्य सृजको पर कूडा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण अधिशासी अधिकारी द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर लगाया जायेगा। कूडे के समुचित निस्तारण के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाया जाएगा जो कि अनु सूची–4 में वर्णित दरो के अनुसार होगा जोकि प्रत्येक 02 वर्ष में पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

11–कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना– अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडेबल) से कम्पोस्ट खाद बनायें और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों में लगाये गये पेड़ों और आस–पास के पेड़ों में डालें। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निर्विर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

12–नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण (1) जहां कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, क्रीड़ा-स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा में खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाइयाँ (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा। ऐसी इकाइयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनो अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायादारों, द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थायें स्थानीय समुदाय के लिए नमूनो का प्रदर्शन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलो से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों में इकठ्ठा करने हेतु या स्वयं दायित्व लगा या इच्छुक संगठनों को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकठ्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जाएगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलो पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसस्कृत करे।

(4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए यथा–आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलो का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निश्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिए समुचित न हो डाला जाएगा।

(5) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों में पुनर्चकरण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेडेबुल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन रीएक्टिव व इनर्ट हो तथा जो अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छाट कर निकाला गया हो को, सैनिटरी लैण्डफिल साइट पर निस्तारित किया जायेगा।

(7) छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाइकिल व रीयूज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो–वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(8) खुली हुई डम्प साइटस की बायो–माईनिंग व बायो–रेमेडिएशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैपिंग की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जायेगी। ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।

(9) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 10 किलो मीटर क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केन्द्रों में घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट जमा अपशिष्ट जमा करने का समय अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।'

(10) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार किया जायेगा।

13-नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन- अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहां नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाडी की दिये जाने के लिए एकत्रित (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूडे को इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में रखा गया कूडा ढका रहेगा।

14-स्रोत पर ही एकत्रीकरण- भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाड़ियों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाये।

15-सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र- आपवादिक मामलों में जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो वहां नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और संभव हो, रख-रखाव किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

16-अपशिष्ट छटाई केन्द्र- पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो। ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते हैं, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप में उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेंगें। इनकी व्यवस्था कूडा बिनने वालो की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी। जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिए हरे रंग के डिब्बे पुनर्चक्रमण योग्य अपशिष्ट के लिए नीले रंग एवं अन्य अपशिष्ट के लिए "काले रंग" के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा। छंटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूडें का प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छंटाई केन्द्रों से कूड़ा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छंटाई केन्द्रो पर विभिन्न प्रकार के कूडे का अधिसूचित दरो पर क्रय एवं विक्रय का कार्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

17-समय सारिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग- नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उलब्ध रहेगा।

18-स्थानीय नागरिक समूह-- स्वंय सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना तदुपरान्त घर--घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा। जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सकें। सड़कों की सफाई कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिए निर्धारित इकाई दरों पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया माडल उपविधियों तथा स्थानीय नागरिक समूहों स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनो हेतु माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर पालिका की कार्याकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध कराये जायेगी।

19--सफाई अभियान-- उन क्षेत्रों में जिनको विशेष सफाई अभियान के लिए आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाय और जहां स्थानीय पार्षद या सदस्य नागरिक सहयोग के लिए आगे आते हो सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिए अपेक्षित संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

20--जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण-- अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बस्तियों, दुकानों, फेरी वालो/अपशिष्ट चुनने वालों/ संग्रहकर्ता को कार्यालय स्कूलों, औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक युनियनों, सकल एरिया सिटिज़न ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात् इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिए एक समन्वित योजना एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

21--अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन-- जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्ध के सर्वोत्तम कार्यो के लिए नगर निकाय द्वारा प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा।

22--शिकायतों का निस्तारण-- नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलाईन क़म्पलेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकडे आनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेण्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0)/सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

23--नागरिकों की सफाई टीम-- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यो मे विशेष रूचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छाग्रही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमे नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

24–रूचि की अभिव्यक्ति– किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूडे के प्रथक्करण पुनरावर्तन या कूडे के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोजिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायो–मिथेनीकरण आदि की अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

25–आकस्मिक निरीक्षण– अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने वार्डों के विभिन्न मार्गो में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जांच करेंगे। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े कचरें की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।

26–नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्व–

(1) मलिन बस्तियों की सफाई के संवंध में दायित्व:–

[क] अधिशासी अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहां-जहां भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डों के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने के अन्तर्गत) का विस्तार करेगें।

[ख] जहां आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

[ग] अपवादित मामलों में जब तक गाडी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी जहां कुड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहां से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व:– चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढंकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुंचायेगा। किसी सामुदायिक कूडादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निशिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) ठेले वालों / फेरी वालों के दायित्व:–

घरेलू पानी वाले भू–गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि व यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा

करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे संस्थान ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा और उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक उसे अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुंचाया जाये। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(4) नाली की सफाई का दायित्व:-

घरेलू नाली वाले भू-गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान, ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा और उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक उसे अपशिष्ट को अलग अलग करके पहुंचाया जाय। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहां ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथानिर्धारित प्रयोक्ता शुल्क भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) पालतू पशु स्वामी का दायित्व:-

किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि नाली या सार्वजनिक स्थान पर पालतू पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दें अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्व:-

सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी सर्कस मेलो या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन इत्यादि शामिल हैं) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करें।

नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजन से समारोह की अवधि के लिए संबंधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नहीं होगी।

(7) निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपर के विनिर्माओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्य -

[1] निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, काँच, प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता

उपलब्ध करायेंगे।

[2] गैर नान बायोडिग्रेडबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।

[3] स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियो द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निरतारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे।

[4] ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निरतारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।

27–नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना अथवा उल्लंघन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

28–अपराधों का प्रशमन–

इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि अनुसूची–1 में उल्लिखित है वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है। शर्त यह होगी कि निकाय में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क कि धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन नगर निकाय कोष में जमा करना होगा व इसकी लिखित सूचना व सूची नगर निकाय के सफाई विभाग में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाएं अपने पास रखेगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि व अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहा प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा।

उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृक्षा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड सहित के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/ पुलिस कर्मियो को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची–1

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि–2017

प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क (रु0 में)	02 वर्ष की अवधि में पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादन के दायित्वों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासनिक व्यय की धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	5
	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनधिकृत स्थल पर किसी–			
	(1) अपशिष्ट फैलाना/फेंकना।	200	प्रशमन शुल्क का पाँच गुना	500
	(2) थूकना	100	,,	200
	(3) मूत्र विर्सजन करना।	100	,,	250
	(4) जानवरों के अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना।	500	,,	1500
	(5) वाहनों की धुलाई।	500	,,	1500
	(6) कपड़े धोना।	500	,,	1500
	(7) सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड में ग्रदगी फैलाना।	500	,,	1500
	मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	500	,,	5000
	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर।	500	,,	5000
	पालतू पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर।	500	,,	1000
	नाले नालियों, ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर–			
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	1000	,,	5000
	(ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक	5000	,,	10000
	(ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	10000	,,	20000
	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टैनर के बाहर पशिष्ट फैलाना।	500	,,	शून्य
	उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई।	500	,,	शून्य
	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूडा–करकट को बनाये रखना।	500	,,	2000
	कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण।	1000	,,	---

1	2	3	4	5
10	भवन परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना			
	(क) व्यक्तिगत यूनिट भवन / फ्लैट	500	,,	शून्य
	(ख) दुकान / बूथ	400	,,	शून्य
	(ग) माल / मल्टीप्लेक्स / शापिंग और केंड / होटल	5000	,,	शून्य
	(घ) शैक्षणिक / धार्मिक / अन्य संस्थान	2000	,,	शून्य
11	प्रतिबन्धित पालीथीन आइटमस का उत्पादन, वितरण भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25000	,,	शून्य
12	थर्मोकोल आइटमस का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25000	,,	शून्य
13	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूडे का सौंपना:		,,	
	(क) व्यक्तिगत भवन	200	,,	
	(ख) दुकान / बूथ	500	,,	
	(ग) माल / मल्टीप्लेक्स / शापिंग और केंड / होटल	5000	,,	
	(घ) शैक्षणिक / धार्मिक / अन्य संस्थान	2000	,,	
	(ङ) औद्योगिक भूखण्ड / यूनिट	5000	,,	
	(च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	5000	,,	
14	वृहद् अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना।	5000 प्रतिमाह	10000 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।	2000	4000	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
16	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	5000	10000	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	2000	----
18	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	2000	----
19	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने / अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर	500 प्रतिटन	प्रशमन शुल्क का पाँच गुना उपरोक्तानुसार	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय

1	2	3	4	5
20	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डीलीवरी न करने पर।	500	500	----
21	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छँटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	2000	1000
22	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।	1000	2000	----
23	खुले शौच करने पर।	500	100	----
24	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेकना।	500	1000	5000
25	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथानिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	1000	1000
26	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारो के लिए।	100	200	----
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए।	500	1000	5000
28	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनधिकृत रूप से पानी बहाने पर।	1000	2000	----
29	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात 24 घण्टे के भीतर सफाई न करने के लिए।	5000	1000	सफाई करने पर अपने वाले वास्तविक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपाजिट जब्त कर लेना।

नोटः—

1— उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षो के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकारी अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।

2— अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार–बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3— यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगे।

अनुसूची—2

जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)
जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल है। मांस और हड्डियाँ उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है। पशुओं का कूड़ा करकट गोबर सफाई के बाद घर की गंदगी नारियल के छिलके राख अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट.	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समाचार-पत्र, कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें शीशा, धातु के पदार्थ और तार प्लास्टिक फटे कपड़े चमड़ा रेक्सीन रबर लकड़ी/फर्नीचर पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

अनुसूची तीन

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनके सम्बन्धी शोध कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1— धारदार अपशिष्ट:—

सुईयों, सिरींज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों है।

2— बेकार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों:—

अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट

3—ठोस अपशिष्ट:—

रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

अनसूची—4

आवासीय/अनावसीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज

आवासीय	विवरण	दर
1	2	3
श्रेणी क	गृहकर से छूट वाले परिवार	रु0 30.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई	रु0 80.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय ईकाई	रु0 100.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	हाउसिंग सोसायटी अपार्टमेन्ट प्रति फ्लैट	रु0 40.00 प्रतिमाह
श्रेणी ङ	यात्री धर्मशालायें/धर्मशाला	रु0 30.00 प्रतिमाह
	अनावसीय/व्यावसायिक	
श्रेणी क	100 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	रु0 50.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल तक की दुकान	रु0 100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	रु0 150.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र एवं छात्रायें तथा पब्लिक स्कूल	रु0 150.00 प्रतिमाह
	तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्रायें	रु0 300.00 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तक कोचिंग सेन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्रायें	रु0 500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ङ	इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज एवं प्राइवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज, सेन्टर शॉपिग कम ऑफिस कॉम्पलेक्स प्राइवेट शिक्षण संस्थायें, प्राइवेट हॉस्टल	रु0 500.00 प्रतिमाह
श्रेणी च	बैंक कार्यालय, एल0आई0सी0 कार्यालय आदि एवं गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक, रेस्टोरेण्ट।	रु0 500.00 प्रतिमाह
श्रेणी छ	मैरिज होम, माल्स, बैंक्विट हाल, क्लब, सिनेमा हॉल होटल 10 कमरों से अधिक।	रु0 2000.00 प्रतिमाह
श्रेणी ज	सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र/सरकारी स्कूल	रु0 500.00 प्रतिमाह
श्रेणी झ	प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम (20 बेड तक)	रु0 500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ञ	प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम (20 बेड से अधिक)	रु0 1000.00 प्रतिमाह

1	2	3
श्रेणी ट	पैथाजॉजी लैब	रु0 200.00 प्रतिमाह
श्रेणी ठ	क्लीनिक	रु0 100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड	अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल	रु0 100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ढ	दवाइयों की दुकान	रु0 150.00 प्रतिमाह
श्रेणी ण	रिटेल चैन्स (जैसे बिग बाजार, विशाल, मैट्रो बाजार आदि)	रु0 2000 प्रतिमाह
श्रेणी त	रोड साईड वेन्डर (वेन्डर जोन रहित)	रु0 5.00 प्रतिमाह
श्रेणी थ	रोड साईड फास्ट फूड कार्नर चाय/जूस की दुकान व चाट हाऊस आदि।	रु0 50.00 प्रतिमाह
श्रेणी द	गोदाम एवं वेयरहाऊस 1001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	रु0 2000.00 प्रतिमाह
श्रेणी ध	गोदाम एवं वेयरहाऊस 1001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	रु0 2000.00 प्रतिमाह
श्रेणी न	शराब की दुकानें	रु0 5000.00 प्रतिमाह
श्रेणी प	हाट, मार्केट, साप्ताहिक बाजार	रु0 25.00 प्रतिमाह
श्रेणी फ	शोरूम, सर्विस सेन्टर व छोटे गैराज	रु0 1000.00 प्रतिमाह
श्रेणी ब	प्रदर्शनी ग्राऊण्ड, मेला	रु0 1000.00 प्रतिमाह
श्रेणी भ	छोटे और कुटीर उद्योग कार्यशालायें (केवल गैर खतरनाक/प्रदूषण प्रतिदिन 10 कि0ग्राम तक अपशिष्ट	रु0 500.00 प्रतिमाह
श्रेणी म	प्रिटिंग प्रेस	रु0 300.00 प्रतिमाह
श्रेणी य	पेट्रोल पम्प	रु0 1000.00 प्रतिमाह
श्रेणी र	ऐसे भवन जिनमें पालतू पशु (यथा–भैंस, गाय, भेड, बकरी, सूअर आदि) पाल रखें हों, जिनका व्यावसायिक उपयोग न किया जाता हो।	रु0 100.00 प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा।
श्रेणी ल	अन्य जो उपरोक्त में छूट गया हो।	जो नगर पालिका परिषद् द्वारा निधारित किया जाए।

नोटः–

1– प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

2– यदि कोई उपभोक्ता एवं वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3– विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान से स्वयं निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण–पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पालिका से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

4– वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान में निवास करते हों, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पालिका परिषद्, खोड़ा–मकनपुर से इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण करांना होगा।

5– जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची–4 की सीमा में नही आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अन्तर्गत होगा।

6– प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची–4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में पालिका द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, खोड़ा–मकनपुर में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

रीना देवी,
अध्यक्ष,
न0पा0परि0, खोड़ा–मकनपुर,
गाजियाबाद।

कार्यालय नगर पालिका परिषद [redacted]कनपुर, गाजियाबाद

पत्रांक-554/न0पा0परि0खो0म0गा0/2024 दिनाँक-01 अक्टूबर 2024

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय,
सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

विषयः-स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट के संचालन हेतु मशीनों को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्र सं0-पी0एम0यू0/1076/429(13)/2024 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट के संचालन हेतु सिविल कार्य एवं मशीनों को क्रय करने के लिए डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कन्सलटैन्सी सर्विसेस फर्मो को नामित किया गया है। नामित फर्मो द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कराकर निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर गाजियाबाद की **M/S Aditya Consulting & Engineering Services, Harmu Chowk, Harmu Ranchi, Jharkhand.** द्वारा तैयार की गयी **Solid Waste Management Processing Plant 90 TPD** की डी0पी0आर0 संलग्न कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-डी0पी0आर0।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 खोडा-मकनपुर
गाजियाबाद।